मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011 (म.प्र.)

क्रमांक/ 685 /निस/चिकित्सा/लेखा शाखा/ भोपाल, दिनांक 30/06/2018
प्रति,

1. **समस्त उपायुक्त/लेखा अधिकारी(देयक)**
   म.प्र.गृह निर्माण एवं अधो.वि.मंडल,
   वृत्त.....
2. **समस्त कार्यपालन यंत्री/संपत्ति अधिकारी,**
   म.प्र.गृह निर्माण एवं अधो.वि.मंडल,
   संभाग.....
3. **लेखा अधिकारी(वेतन)**
   म.प्र.गृह निर्माण एवं अधो.वि.मंडल,
   मुख्यालय – भोपाल

विषयः– चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति एवं भुगतान।

––00––

विषयान्तर्गत म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल विनियम 2015, के सरल कमांक 3 के अनुसार अधिनियम की धारा 15 (2) मडल के कर्मचारियों पर म.प्र.सिविल सेवा (चिकित्सा भत्ता) नियम 1958 लागू है। विनियम के अनुभाग एक प्रशासन, उपअनुभाग–अ स्थापना से संबंधित मामले, भाग–10 चिकित्सा सुविधा में चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति एवं भुगतान उल्लेखित शर्तो के अधीन किया जाता है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 दिसम्बर 2013 के द्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम–7 में द्वितीय अभिमत तथा चिकित्सा बोर्ड से परीक्षण के संबंध में निर्धारित राशि की सीमा में परिवर्तन किया गया है एवं अधिसूचना दिनांक 14 मार्च 2014 के द्वारा कर्मचारियों के आश्रितों की आय सीमा पेंशन सहित समस्त स्त्रोतो से आय रूपये एक लाख वार्षिक निर्धारित की गई है। (प्रति संलग्न है)

अतः कृपया म.प्र.सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 के तहत राज्य शासन द्वारा तय की गई सीमा के अनुसार प्रकिया अपनाकर ही मण्डल विनियम 2015 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार देयक स्वीकृत करावें। इसका पालन नहीं किए जाने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारण एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

मुख्य लेखा अधिकारी
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधो.वि.मंडल भोपाल

पृ.क्रमांक/ /निस/चिकित्सा/लेखा शाखा/ भोपाल, दिनांक 30/06/2018
प्रतिलिपि :–
1– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल,भोपाल।

मुख्य लेखा अधिकारी
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधो.वि.मंडल भोपाल

SI

क्रमांक एफ 9–01 / 2014 / सत्रह / मेडि–3 भोपाल, दिनांक 5/6/2014

प्रतिलिपि : सूचनार्थ ।

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय म.प्र. ।
4. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, म.प्र. ।
5. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
6. समस्त संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. ।
8. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र. ।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 535] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 14, शक 1935

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-9-9-2013-सत्रह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 में,—

(1) उप नियम (1) के खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) प्राधिकृत परिचारक द्वारा विहित की गई औषधियों के क्रय में उपगत व्यय:

परन्तु—

(1) यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो बाह्य रोगी के रूप में एक वर्ष में चार बार या लगातार तीन माह तक रुपये 1000/- (रुपये एक हजार केवल) प्रतिमाह से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल स्वयं के या उसके परिवार के किसी सदस्य के उपचार के सम्बन्ध में प्रस्तुत करता है, तो नियंत्रण प्राधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से द्वितीय अभिमत प्राप्त करेगा तथा अनुकूल सिफारिश प्राप्त होने पर ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करेगा. किसी भारतीय चिकित्सा पद्धति या होम्योपैथी पद्धति से उपचार के मामले में द्वितीय अभिमत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के बजाय यथास्थिति संभागीय अधिकारी, आयुर्वेद या भारसाधक जिला आयुर्वेद अधिकारी से लिया जाएगा.

(2) यदि किसी एक वर्ष में किसी सरकारी कर्मचारी से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) से अधिक के बिल प्राप्त हों तो नियंत्रण प्राधिकारी उक्त सीमा से अधिक राशि के ऐसे समस्त बिलों की जांच एक चिकित्सा बोर्ड से कराएगा, जिसमें यथास्थिति संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ, संभागीय अधिकारी, आयुर्वेद या जिले के भारसाधक जिला आयुर्वेद अधिकारी सम्मिलित होंगे और ऐसे बिल नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा, बोर्ड की सिफारिश पर ही पास किए जाएंगे.

(3) यदि एक वर्ष में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की राशि रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार केवल) से अधिक हो तो उक्त सीमा से अधिक राशि के बिलों की जांच एक बोर्ड द्वारा की जाएगी जिसमें यथास्थिति संचालक, चिकित्सा सेवाएं, संचालक, चिकित्सा शिक्षा, संचालक, भारतीय चिकित्सा-पद्धति एवं होम्योपैथी सम्मिलित होंगे और ऐसे बिल नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा उक्त बोर्ड की सिफारिश के अनुसार ही पास किए जाएंगे.

उक्त उपबंध—

(क) अन्तर्वासी (इनडोर) रोगियों; तथा

(ख) उन रोगियों से, जो ऐसे रोग से पीड़ित हों, जिसके बारे में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने विहित प्रोफार्मा में यह प्रमाण-पत्र जारी कर दिया हो कि उस रोग के लिये उपचार लंबे समय तक चलना अपेक्षित है या चलने की संभावना है, संबंधित प्रतिपूर्ति बिलों के मामले में लागू नहीं होगा.

टिप्पणी.—ऐसा प्रमाण-पत्र एक समय में एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिये जारी नहीं किया जाएगा किन्तु उसका समय-समय पर ऐसी कालावधि के लिये जो आवश्यक हो, नवीनीकरण किया जा सकेगा जो एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करने वाला एक रजिस्टर, ऐसी रीति में, जैसी कि सरकार द्वारा विहित की जाए, रखेगा.

(2) विद्यमान प्ररूप दो के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् —

प्ररूप-दो

ऐसी औषधियाँ/जाँचे जो चिकित्सालय में नि:शुल्क उपलब्ध नहीं हैं

[नियम 8(2) देखिए]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . . पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री . . . . . जो कि . . . . . में नियोजित हैं दिनांक . . . . . से दिनांक . . . . . तक अन्तर्वासी/बाह्यरोगी के रूप में . . . . . चिकित्सालय में . . . . . (रोग का नाम) के लिये मेरे उपचार में रहे/रहीं और इस संबंध में मेरे द्वारा निम्नलिखित औषधियां/जांचें विहित की गई. ये औषधियाँ/जाँचे, चिकित्सालय में नि:शुल्क उपलब्ध नहीं है. ये औषधियां/जांचे उपरोक्त शासकीय कर्मचारी के उपचार के लिये नितान्त आवश्यक थीं.

अनुक्रमांक	औषधि का नाम	राशि
(1)	. . . . .	. . . . .
(2)	. . . . .	. . . . .
(3)	. . . . .	. . . . .

अनुक्रमांक	जाँचों का नाम	राशि
(1)	. . . . .	. . . . .
(2)	. . . . .	. . . . .
(3)	. . . . .	. . . . .

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–01/2014/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 23/05/2014

प्रति,

1. शासन के समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इंदौर मध्यप्रदेश ।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश ।
7. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश ।

विषय : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों की आय–सीमा का निर्धारण ।

संदर्भ : म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9–1/14/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 14 मार्च 2014 ।

= 0 0 =

विषयान्तर्गत संदर्भित अधिसूचना के द्वारा म.प्र.सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के नियम 2 में, खण्ड (घ) में, उपखण्ड (दो) के पश्चात् स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया गया है । इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना की प्रति संलग्न है ।

2/ इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित वे सदस्य होंगे, जिनकी समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय शासन द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए समय–समय पर यथा विनिश्चित् आय सीमा के भीतर हो ।

3/ अतः उक्त संशोधन के तारतम्य में शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों की आय–सीमा "पेंशन सहित समस्त स्त्रोतों से आय रूपये एक लाख वार्षिक" एतद् द्वारा निर्धारित की जाती है ।

4/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 19/14/2772/13/नियम/चार दिनांक 03–01–2014 द्वारा दी गई है ।

(सूरजे डामोर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निरंतर ..2..